संख्या- 40/2026/1796/22-2-2024-17(638)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद उमर, निवासी जनपद-बदायूँ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद उमर जो गददी टोला निकट सपरागेट हाउस, थाना-उझानी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.04.2012 को नूर-ए-निशा नामक (12 वर्षीय) बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-505/2012 में भा०द०वि० की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2014 द्वारा मृत्युदण्ड को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.08.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 04 माह, 03 दिन तथा 15 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 07.08.2024 तक 56 वर्ष, 02 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद उमर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 56 वर्ष, 02 माह की आयु एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार एवं हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अख्तर(बन्दी संख्या-47700) पुत्र श्री मोहम्मद उमर, निवासी जनपद-बदायूँ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-40/2026/1796(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है